सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2014/60** दायर दिनांक **27.03.2014**

<table>
<tr><th>वादी</th><th></th><th>प्रतिवादीगण</th></tr>
<tr>
<td>1. संदीपसिंह पुत्र गंगासिंह,
उम्र—51साल,
जाति—राजपूत,
निवासी—आगुन्ता,
तहसील—डीडवाना,
जिला—नागौर, राजस्थान।</td>
<td>बनाम्</td>
<td>1. कालूसिंह पुत्र बिजेसिंह,
2. पन्नेसिंह पुत्र गोरधनसिंह,
3. धनसिंह पुत्र गोरधनसिंह,
4. गोपालसिंह पुत्र गोरधनसिंह,
5. पेमसिंह पुत्र गोरधनसिंह,
6. सम्पतसिंह पुत्र गोरधनसिंह,
7. सतपालसिंह पुत्र किशनसिंह, (फौत), के कायममुकाम—
7/1 भँवरसिंह पुत्र सतपालसिंह,
7/2 भवानीसिंह पुत्र सतपालसिंह,
7/3 शक्तिसिंह पुत्र सतपालसिंह,
समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—आगुन्ता, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,
7/4 गेन्दकँवर पुत्री सतपालसिंह पत्नी जितेन्द्रसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—मेहरोली, तहसील—रिंगस, जिला—सीकर, राजस्थान,
8. महावीरसिंह पुत्र किशनसिंह,
9. मानसिंह पुत्र किशनसिंह,
10. नरेन्द्रसिंह पुत्र हणमानसिंह,
11. श्रवणसिंह पुत्र हणमानसिंह,
12. अशोकसिंह पुत्र हणमानसिंह,
13. पारसकँवर पत्नी हणमानसिंह,
14. बलदेवसिंह पुत्र मलसिंह,
15. अमरसिंह पुत्र मलसिंह,
16. महेन्द्रसिंह पुत्र मलसिंह,
17. जितेन्द्रसिंह पुत्र मलसिंह,</td>
</tr>
</table>

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2014/60
दायर दिनांक 27.03.2014, निर्णय दिनांक 15.06.2017
संदीपसिंह बनाम् कालूसिंह, वगैरा।

		18. गिरेन्द्रसिंह पुत्र मलसिंह, 19. उच्छबकँवर पत्नी मलसिंह, 20. धूपकँवर पुत्री विशनसिंह, 21. रामसिंह पुत्र हेमसिंह, (फौत), के कायममुकाम– 21/1 भीमसिंह पुत्र रामसिंह, 21/2 अर्जुनसिंह पुत्र रामसिंह, 21/3 कमलेश पुत्री रामसिंह, 21/4 मिथिलेसकँवर पुत्री रामसिंह, 21/5 ज्ञानकँवर पत्नी रामसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–आगुन्ता, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 22. रेखाकँवर पत्नी संदीपसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–आगुन्ता, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 23. बलवीरसिंह पुत्र गंगासिंह, 24. मनोहरसिंह पुत्र गंगासिंह, 25. तेजसिंह पुत्र गंगासिंह, 26. जयदीपसिंह पुत्र गंगासिंह, 27. उर्मिलाकँवर पत्नी गंगासिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–आगुन्ता, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 188 R.T. Act.

उपस्थित–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **15.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, सरहद आगुन्ता में वर्तमान खेत खसरा नम्बर 425 रकबा 20.03 बीघा, खेत खसरा नम्बर 712/425 रकबा 0.06 बीघा गैरमुमकिन बैरा, कुल रकबा 20.09 बीघा है जो प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 के पिता गोरधनसिंह, प्रतिवादीगण 07 ता

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

09 के पिता किशनसिंह व प्रतिवादीनी धूपकँवर के पिता बिशनसिह तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 के पिता हणमानसिंह, प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 19 के पिता मलसिंह तथा प्रतिवादी रामसिंह ने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 425 व खसरा नम्बर 712/425 (425/1) में से अपने हिस्से की 1/2 भूमि भाई बन्ट में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 23 से 27 के पिता/पति स्व0 गंगासिंह के पक्ष में इकरारनामा दिनांक 11 अप्रेल 1969 को निष्पादित करवा दिया तथा उक्त दिवस को उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर कब्जा प्राप्त कर लिया। वर्तमान खतौनी की प्रमाणित प्रति व इकरारनामा दिनांक 11 अप्रेल 1969 की छायाप्रति वाद के साथ पेश है।

वाद वर्णित प्रतिवादीगण के पिता गोरधनसिंह, किशनसिंह, बिशनसिंह पुत्रगण रूपसिंह तथा मलसिंह, हणमानसिंह, रामसिंह पुत्रगण हेमसिंह की वंशावली वाद के साथ दर्शाई गयी है।

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 425 व खसरा नम्बर 712/425 (425/1) में से 1/2 हिस्सा पर कब्जाकाशत दिनांक 11 अप्रेल 1969 से लेकर आज तक वादी व वादी के भाई प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 27 का है। इस प्रकार से उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन से भी वादी व उसके भाईयों का कब्जा है। वादी के पिता का स्वर्गवास दिनांक 21.07.2002 को जोधपुर में स्वयं के व्यवसाय के दौरान हुआ जिनके वारिसान् वादी व प्रतिवादीगण संख्या 23 से 27 है जिनका कब्जाकाशत उक्त 1/2 हिस्से पर आज दिन तक शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादी के पिता गंगासिंह अपने भाइयों के विश्वास में रहे इसलिए अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने में अपने भाइयों पर निर्भर रहे। शनै–शनै भाइयों का स्वर्गवास भी होता रहा। पारिवारिक सम्पत्ति होने से अब तक अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवा सके, जिस हेतु यह वाद पेश है।

वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से के खातेदार गुलाबसिंह, संग्रामसिंह, गुमानसिंह, सुमेरसिंह, समदरसिंह, मूलसिंह, लाडकँवर, ओमकँवर व भूरसिंह का था जो हिस्सा प्रतिवादीनी रेखाकँवर पत्नी संदीपसिंह ने जरिये विक्रय–पत्र खरीद कर लिया, जिसकी खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादीनी रेखाकँवर के नाम है। बैचाण की छायाप्रति वाद के साथ पेश है।

विवादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण वर्तमान में एक ही चक में अवस्थित है क्योंकि 1/2 हिस्सा वादी की पत्नी रेखाकँवर के पास है तथा बकाया 1/2 हिस्सा वादी व वादी के अन्य भाई प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 27 का कब्जाकाशत आज तक शांतिपूर्वक चला आ रहा है।

गत वर्ष के समय वादी पक्ष ने उक्त खेत में बाजरा, मोठ, ग्वार की काश्त की व वादी पक्ष ने ही अवेरी। वादी अपनी उक्त भूमि की देखभाल करने के लिए दिनांक 22.03.2014 को गया तो प्रतिवादीगण अमादा–फिसाद हुए व एलानियां धमकी दी कि वादी को इस वर्ष काश्त नहीं करने देंगे। यदि वादी पक्ष को उसके जायज हिस्से 1/2 से बेदखल कर दिया तो उसे अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी इसलिए वादी को स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश करना लाजमी आया है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 27 का हित एकसा ही है। मगर शकुन्त पर हाजिर नहीं होने से उन्हें प्रर्फोर्मा प्रतिवादी बनाया गया है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 27 का नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में है मगर दिनांक 11 अप्रेल 1969 के अनुसार प्रतिवादीगण के पिता गोरधनसिंह, किशनसिंह, बिशनसिंह, मलसिंह, हणमानसिंह तथा प्रतिवादी स्वयं रामसिंह का नाम उक्त भूमि से हटाने हेतु भी यह वाद पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2014 / 60
दायर दिनांक 27.03.2014, निर्णय दिनांक 15.06.2017
संदीपसिंह बनाम् कालूसिंह, वगैरा।

बिनाय दावा दिनांक 22.03.2014 को वादी पक्ष को बेदखल करने की धमकी देने व दिनांक 25.03.2014 को खतौनी की प्रमाणित प्रति लेने पर पैदा हुई व हो रही है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद आगुन्ता में खेत खसरा नम्बर 425 रकबा 20.03 बीघा व खसरा नम्बर 712 / 425 रकबा 0.06 बीघा कुल रकबा 20.09 बीघा में से 1/2 हिस्से का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 27 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी व प्रतिवदीगण संख्या 23 ता 27 व प्रतिवादीनी रेखाकँवर के अलावा अन्य खातेदार का नाम राजस्व रिकॉर्ड से पृथक किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 27 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 07, 09 ता 17, 19 ता 23, 25 ता 26 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06, 08, 18 व 24 की तरफ से इकबालिया जवाब पेश हुआ, जो स्वीकार कर शामिल मिसल किया गया।

अधिवक्ता वादी की ओर से आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश हुआ। जो स्वीकार होकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 07 सतपालसिंह का स्वर्गवास दिनांक 25.05.2016 को हो गया है इनके कायम मुकाम–भँवरसिंह पुत्र सतपालसिंह, भवानीसिंह पुत्र सतपालसिंह, शक्तिसिंहपुत्र सतपालसिंह निवासीगण–आगुन्ता तथा गेन्दकँवर पुत्री सतपालसिंह पत्नी जितेन्द्रसिंह, निवासी–मेहरोली (सीकर) को रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 21 रामसिंह का भी स्वर्गवास दिनांक 18.02.2015 को हो गया है इनके कायम मुकाम– भीमसिंह पुत्र रामसिंह, अर्जनसिंह पुत्र रामसिंह, कमलेशकँवर पुत्री रामसिंह, मिथिलेसकँवर पुत्री रामसिंह, ज्ञानकँवर पत्नी रामसिंह भी प्रकरण में रिकॉर्ड पर लिये गये।

वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, जमाबन्दी (प्रतिलिपि) सम्वत् 2065–2068 तक, स्व0 गंगासिंह के पक्ष में लिखा इकरारनामा दिनांक 11 अप्रेल 1969 की छायाप्रति, विक्रय पत्र दिनांक 01.12.2004 की छायाप्रति, रूपसिंह का स्वर्गवास दिनांक 21.07.2002 का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति वाद के साथ पेश हुई।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया। वादी दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे है। प्रकरण में मजमे आम में जानकारी ली गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

विवादित खसरा नम्बर 425 रकबा 20.03 बीघा व खसरा नम्बर 712 / 425 रकबा 0.06 बीघा कुल रकबा 20.09 बीघा में से आधा हिस्सा भूमि का बैचाण जरिये इकरारनामा दिनांक 11.04.1969 को, गोरधनसिंह, बिशनसिंह, किशनसिंह पुत्रगण रूपसिंह के द्वारा स्व0 गंगासिंह को किया जाना लिखित है। स्व0 गंगासिंह के वारिसान् वादी व प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 27 तक हैं जो कि उक्त 1/2 भाग भूमि के जायक हकदार होने से उक्त विवादित जायगा की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 27 तक के पक्ष में घोषित किया जाना हमारे मत में न्यायसंगत प्रतीत होती है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2014/60
दायर दिनांक 27.03.2014, निर्णय दिनांक 15.06.2017
संदीपसिंह बनाम् कालूसिंह, वगैरा।

पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित दिनांक 01.12.2004 की लिखित मुताबिक, विवादित खसरा नम्बर 425 रकबा 20.03 बीघा व खसरा नम्बर 712/425 रकबा 0.06 बीघा कुल रकबा 20.09 बीघा में से 1/2 हिस्सा को गुलाबसिंह पुत्र किशोरसिंह, संग्रामसिंह पुत्र उम्मेदसिंह, गुमानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह, सुमेरसिंह पुत्र गणपतसिंह, समदरसिंह पुत्र गणपतसिंह, लाडकँवर पत्नी स्व0 तखतसिंह, ओमकँवर पत्नी स्व0 इन्द्रसिंह व भरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह ने रेखाकँवर पत्नी संदीपसिंह को प्रतिफल लेकर विक्रय की है। रेखाकँवर जो कि इस वाद में प्रतिवादी 22 है, के पक्ष में उक्त विवादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार, विवादित खसरा नम्बर 425 रकबा 20.03 बीघा व खसरा नम्बर 712/425 रकबा 0.06 बीघा कुल रकबा 20.09 बीघा में से रकबा 1/2 भाग की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 27 तक के पक्ष में तथा रकबा 1/2 भाग की खातेदारी रेखाकँवर जो कि प्रतिवादी संख्या 22 है, के पक्ष में खातेदारी घोषित किया जाना हमारे मत में न्यायसंगत है।

अतः वाद विवचेन, दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर ग्राम आगून्ता पटवार हल्का आगून्ता भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर में खसरा नम्बर 425 रकबा 20.03 बीघा एवं खसरा नम्बर 712/425 रकबा 0.06 कुल रकबा 20.09 बीघा में से हिस्सा रकबा 1/2 भाग भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 27 को सहखातेदार तथा हिस्सा रकबा 1/2 भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 22 रेखाकँवर को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 22 ता 27 के अलावा अन्य खातेदारान् का नाम खसरा नम्बरान् 425 व 712/425 के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–लोरोली कलाँ

निर्णय आज दिनांक **15.06.2017** को कोर्ट कैम्प लोरोली कलाँ में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–लोरोली कलाँ

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2014/60**

दायर दिनांक **23.03.2**

वादी		प्रतिवादीगण
1. संदीपसिंह पुत्र गंगासिंह, उम्र–51साल, जाति–राजपूत, निवासी–आगुन्ता, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. कालूसिंह पुत्र बिजेसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–आगुन्ता, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 188 R.T. Act.

दिनांक **15.06.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर ग्राम आगून्ता पटवार हल्का आगून्ता भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर में खसरा नम्बर 425 रकबा 20.03 बीघा एवं खसरा नम्बर 712/425 रकबा 0.06 कुल रकबा 20.09 बीघा में से हिस्सा रकबा 1/2 भाग भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 27 को सहखातेदार तथा हिस्सा रकबा 1/2 भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 22 रेखाकँवर को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 22 ता 27 के अलावा अन्य खातेदारान् का नाम खसरा नम्बरान् 425 व 712/425 के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.06.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–लोरोली कलाँ

(मुहर: सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–लोरोली कलाँ

(मुहर: सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

Scanned by CamScanner